03.01.2018

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर आरोपी की ओर से श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि जमा करने बावत् प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया है। विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकर कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। आरोपी की ओर से अर्थदण्ड की राशि रूपए 12,000/- रशीद क्रमांक 82 पर जमा किए गए। रशीद आरोपी को प्रदान की गई। प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर एवं परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। STINE DE

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद